न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 63/2014

बउनवान

ब्रहानन्द नागर पुत्र श्री गिरधारी नागर जाति–धाकड निवासी–इकलेरा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

<u>अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

<u>निर्णय दिनांक – 16.01.2019</u>

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.11.2009 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–इकलेरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 574 रकबा 0.40 है0 व खसरा नम्बर 1454 रकबा 0.20 है0 कुल 0.60 है0 भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमी [illegible] 300/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की [illegible] किया गया है।

[illegible] लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सही [illegible] नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत [illegible] नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को [illegible] प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] निर्णय दिनांक 16.11.2009 निरस्त फरमाया जावे।

2– [illegible] रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.12.2009 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 626/08 निर्णय दिनांक 03.03.2008 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की तामील अपीलांट स्वयं को हुयी है, इसके बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि [illegible] अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 628/08 [illegible] से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि [illegible] अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी चारागाह भूमि पर पश्चात्[illegible] के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के [illegible] विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तह[illegible] प्रकरण संख्या 850/09 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2009 [illegible] है।

निर्णय आज [illegible] को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

([illegible] सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर ना [illegible]